Shortfall in Customs Duty collections

420. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the customs duty collections for the current year are likely to fall short of the budgetted amount due to import curbs enforced by Government;

(b) what is the gap expected between the budgetted and actual receipts of customs duty; and

(c) the manner in which Government propose to make up the shortfall?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) Yes Sir.

(b) and (c) Government is taking all possible steps, like tightening of tax administration, faster clearances of goods and reducing the time between importation and ultimate clearances of goods etc. to contain the shortfall in customs revenue. Action has also been taken to reduce arrears and thereby increase collections under Income Tax, Corporate Tax and Excise duties so as to minimise the shortfall in total tax revenue collections. As these measures have been taken only recently, it is too early to estimate the likely final collections, and consequently the gap between the Budget figures and likely actual receipts.

बैंकों के लूटे जाने की घटनाएं

421. **श्री शंकर दयाल सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों के दौरान देश में किन-किन स्थानों पर किन-किन बैंकों की किन-किन शाखाओं में लूट और डकैती की घटनाएं हुई और उनसे कितनी-कितनी धनराशि लूटी गई ; और

(ख) सरकार बैंकों की सुरक्षा के लिए तथा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) देश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की उन शाखाओं जहां अप्रैल, 1991 से सितम्बर, 1991 की अवधि के दौरान लूट-पाट/डकती हुई, और उनमें अन्तर्ग्रस्त राशि को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण में दिया गया है । **(नीचे देखिए)**

(ख) सुरक्षा व्यवस्था की पुनरीक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:—

(i) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए राज्य स्तरीय सुरक्षा समितियां गठित की गई है ।

(ii) बैंक लूट-पाट पर नजर रखने, समय-समय पर उपयुक्त निदेश जारी करने और बैंक सुरक्षा के लिए सोच विचार (थिंक टैंक) के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में एक सुरक्षा सैल खोला गया है ।

(iii) प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के बैंक में एक मुख्य सुरक्षा अधिकारी है जिसकी सहायता के लिए सर्किल सुरक्षा अधिकारी होता है ।

(iv) शाखाओं को जोखिम के स्तर के आधार पर वर्गीकृत किया गया है और उन्हें उपयुक्त सुरक्षा प्रबन्ध उपलब्ध कराये जाते हैं ।

(v) विशिष्टियों के अनुसार स्ट्रांगरूमों का निर्माण, शाखाओं को बेहतर/अधिक सुरक्षित परिसरों में स्थानांतरित करना, अलार्म की व्यवस्था इत्यादि जैसे उपायों द्वारा शाखा स्तर पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए उपाय किये गए हैं ।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों की निरंतर समीक्षा की जाती है और अन्तर्ग्रस्त जोखिम को ध्यान में रखकर जहां कहीं आवश्यक होता है, उपयुक्त उपाय किये जाते हैं ।